

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 02.08.2017

आदेश


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 2808/12 में प्रदत्त निर्णय की पालना में डा. भाल सिंह, चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग), जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जोधपुर
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, पावटा, जोधपुर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(मोहन लाल वर्मा)  
शासन सहायक सचिव